संख्या:सा–3–1671 / दस–2010–301(09) / 2003 टी०सी०

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त ( सामान्य ) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :– अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2– वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि, ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र

( अनूप मिश्र )
प्रमुख सचिव, वित्त।

—2/—

संख्या : सा–3–1671(1) / दस–2010–301(09) / 2003 टी०सी०, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( नील रतन कुमार )
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 84 रा०० वित्त–25–9–2010–(1107)–8000+2=8,002–(कम्प्यु० / टी / आफसेट)।